बिहार सरकार
खेल विभाग

पत्रांक–01/वि० 4–54/2024...23.../

सेवा में,

पटना, दिनांक–28.1./2026

महालेखाकार, बिहार (ले. एवं ह.),
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय :– राज्य खेल अकादमी, राजगीर परिसर में अवस्थित प्रशासनिक भवन, हॉल सभागार, आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, विभिन्न अवसंरचनाओं एवं खेल विधा से संबंधित लैब, खिलाड़ी/प्रशिक्षक छात्रावास आदि में वाई–फाई सुविधा के अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹4,91,04,095/– (चार करोड़ इक्यानवे लाख चार हजार पंचानवे रूपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

2. राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–52 के अधीन बजट शीर्ष 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएँ–104–खेलकूद–0013–राज्य खेल अकादमी, राजगीर विपत्र कोड–52–2204001040013 के अंतर्गत विषय शीर्ष–13–01 में उपबंधित राशि से होगा।

3. इस राशि की निकासी, सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि का लेखा–जोखा अलग रखा जायेगा। भारत सरकार/बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरूपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से वसूलनीय होगी।

5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय खेल विभाग, बिहार, पटना को विहित विपत्र में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

6. इस प्रस्ताव पर दिनांक–20.01.2026 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा पृष्ठ–76/प० पर प्राप्त है।

7. यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–3758, दिनांक–31.05.2017 एवं संकल्प सं०–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।

8. इस राशि की स्वीकृति पर सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/01/26

(निरंजन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–01/वि० 4–54/2024...23.../

पटना, दिनांक–28.1./2026

D:\sanjeev\sanjeev\sanjeev letter600

प्रतिलिपि :– निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. निदेशक, खेल निदेशालय/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सहायक निदेशक, खेल विभाग/बजट शाखा/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/आई0 टी0 मैंनेजर, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\sanjeev\sanjeev\sanjeev letter601